

## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1488

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**GOPAL BANSAL**

**BAJRANG LAL**

C/O VINAY SAXENA BHOOR H. NO. 280 BHOOR, NEAR KUNDAN LAL MANDIR,

BAREILLY

Mobile 9410019808

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 47, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5743 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 47 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1489

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

HARENDRA PAL

पिता/पति श्री

BHAGWAN DAS

C/O BHAGWAN DAS GANGWAR, ADARSH NAGAR, STATION ROAD,

NAWABGANJ, BAREILLY

Mobile 9702287896

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 71, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112072064** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **71** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1490

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

HARISH KUMAR

पिता/पति श्री

RAM AUTAR

VILLAGE MADAVNA URF PATPARAGANJ POST KUNDARIA FAIJULLAPUR

THE AONLA

Mobile 9761621240

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 57, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5670 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 57 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किशतों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किशतें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किशतें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1491 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु० **HASAN ZAIN**  
पिता/पति श्री **MUINUL HASAN NIAZI**  
G-54/5, DILSHAD COLONY, DELHI  
Mobile 9540600263

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं0- 45 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- **BDA202112082358** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इक्लेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं0- **45** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं0-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किशतों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किशतें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं0-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू0-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किशतें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1492

/ का0ब0वि0प्रा0/ सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**JANG BAHADUR**

**CHUNNI LAL**

G.31 INTERNATIOBNAL CITY NAKATIYA NEAR R.T.O OFFICE

SHAHJAHANPUR ROAD BARELLY

Mobile 9412141988

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 94 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5612 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 94 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1493

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**JIYOTI SINGH**

**ANKUSH SISODIA**

**RIYA BHAWAN S-7 202 GREATER GREEN PARK BAREILLY**

Mobile 9910096556

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 136 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112113099** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **136** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1494

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KAILSAH BABU**

**CHEDA LAL**

**VILL PATIYA TEHSIL & POST MILAK RAMPUR, 243701**

Mobile 8765000638

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 30 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5939 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 30 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1495

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KANCHAN BHASHKAR**  
**OM PRAKASH BHASKAR**  
137, KACHNEERA BAREILLY  
Mobile 8171956353

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 50, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5649 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 50 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवँ फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवँ जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवँ शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1496

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KAPIL DEV**

**OMPRAKASH**

**NOUSAR, UDHAM SINGH NAGAR, KHATIMA, U.K.**

Mobile 8433143213

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 129 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5668 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 129 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।


- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1497

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

**KAPIL KUMAR**

पिता/पति श्री

**SURESH CHANDRA**

C/O ASHWANI KUMAR, PLOT NO. 52, KESAR VATIKA COLONY, NEAR PREM

NURSERY, KARAMCHARI NAGAR, BARREILLY, UP

Mobile 8954906998

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 147, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112123467** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **147** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- <b>1584000/-</b>
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- <b>79200/-</b>
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- <b>316800/-</b> दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- <b>1188000/-</b>
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- <b>162530/-</b>

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1498

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

KARISHMA MAMNANI

JAI VISHAN MAMNANI

10-A SHAHDANA COLONY, BEHIND SAMTA YOG AASHRAM, BAREILLY

Mobile 9520618438

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 53 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5064 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 53 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1499 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KISHWAR JAHAN**  
**MUINUL HASAN NIAZI**  
G-54/5, DILSHAD COLONY, DELHI  
Mobile 8010420340

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 44 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112072117** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **44** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1500

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KULDEEP KUMAR**

**RAMVEER SINGH**

C/O B.R. VYAS S/O BASUDEV VYAS R/O PANCHSHEEL NAGAR BAREILLY

Mobile 7983525314

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 33 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5662 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 33 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1501 / का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KUM KUM KUMARI**  
**GOVIND SINGH**  
365 CIVIL LINES CHOPLA BAREILLY  
Mobile 8439663564

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 128 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5987 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 128 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1502

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**KUSUM SAXENA**

**PRADEEP KUMAR SAXENA**

69/2 AGRASEN NAGAR, OPP-GREEN PARK COLONY, BISALPUR ROAD,

PILIBHIT BYPASS ROAD BAREILLY

Mobile 9457167240

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 40, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5022 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 40 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1503

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

LAKHAN SINGH

DAMODAR SINGH

VILL AND POST TIYOOLIIYA WARD NO 26 NAGAR NIGAM BAREILLY

Mobile 9997283004

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 68 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5786 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 68 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुरितका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1504 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु० **LOKESH ARORA**

पिता/पति श्री **SURESH KUMAR**

18, MAL GODAM ROAD NEAR BHARAT MOTOR TRAINING COLLEGE

SUBHASH NAGAR BAREILLY

Mobile 9799521076

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 91 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5908 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 91 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1505 / का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**LOVELY**  
**CHANDRA SAIN**  
**NEW POLICE LINE CHOUPLA BAREILLY**  
Mobile 8077637673

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 65 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5706 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 65 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1506

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MADHU**  
**HIMANCHAL SINGH**  
**H.NO-13 KRISHNA VATIKA MINI BYPASS BAREILLY**  
Mobile 9639788111

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 32 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112123301** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **32** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1507

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

MADHU GANGWAR

RAM AUTAR GANGWAR

VILLAGE SHERPUR POST BATLAIYA TEHSIL TILHAR DISTT. SHAHJAHANPUR

Mobile 8630103901

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 48 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5696 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 48 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1508

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MAHENDRA PAL**

**CHELLI RANA**

34/3 P.W.D. COLONY, NEAR POLICE CHOWKI RAJENDRA NAGAR, BAREILLY

Mobile 9411089392

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 22 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5968 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 22 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1509

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

MAHTAB ALAM

पिता/पति श्री

AIJAZ AHMED

MOH GODAM NEAR MOTI MASJID BAHERI BAREILLY

Mobile 8077475941

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 29 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- BDA202112134005 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 29 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1510

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

**MANAS AVASTHI**

पिता/पति श्री

**BIMAL KUMAR AVASTHI**

**HNO - 960, NEAR S.B.I, SUBASH NAGAR, BAREILLY (U.P) - 243001**

**Mobile 9456470651**

**विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 78 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112031281** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **78** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● **भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-**

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly

खाता संख्या :- 50100459622545

आईएफएस कोड :- HDFC0000304

सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly

खाता संख्या :- 33840100010472

आईएफएस कोड :- BARBOKHANCO

सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly.

खाता संख्या :- 1870000100576997

आईएफएस कोड :- PUNB0187000

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1511

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

MANI ANAND

VINEET ANAND

46-B SHIVPURI NEAR HANUMAN MANIR, MORADABAD

Mobile 9897320623

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 137 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5004 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 137 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1512

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

MANJU RANI  
SHEESH RAM SINGH  
KRISHNA NAGAR PHASE II  
Mobile 8650044044

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 145 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- BDA202112092631 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 145 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1513

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

MANOJ KUMAR

पिता/पति श्री

MOTI LAL

AVASIYA COLONY, VIDHYUT UPKENDRA, 132 K.V. ROOPPUR KRIPA,

BISALPUR ROAD THANA SUNGADDI PILIBHIT

Mobile 8755525341

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 52 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5132 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 52 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं प्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1514

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

MANOJ KUMAR

MOHAN LAL

D-70 SUNCITY VISTAR BAREILLY

Mobile 9369630755

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 70, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5435 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 70 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1515

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

MANOJ KUMAR

पिता/पति श्री

MAHESH CHANDRA

VILL MADAHWALI RASHULPUR POST ACHORA KAMBOH DISST SAMBHAL

Mobile 9760974188

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 95 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5545 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 95 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1516

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

MANOJ KUMAR

पिता/पति श्री

SOMPAL SINGH

14A SURESH SHARMA NAGAR, PART-IIA BAREILLY

Mobile 9359173829

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 112 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5931 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 112 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किशतों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किशतें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किशतें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly

खाता संख्या :- 50100459622545

आईएफएस कोड :- HDFC0000304

सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly

खाता संख्या :- 33840100010472

आईएफएस कोड :- BARBOKHANCO

सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly

खाता संख्या :- 1870000100576997

आईएफएस कोड :- PUNB0187000

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1517

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

**MANSA DEVI**

पिता/पति श्री

**BHAGWAT SINGH**

**VILL MAU-MAY CHACK POST AND DFST AMROHA**

Mobile 8191849456

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 6 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5844 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 6 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवँ फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवँ जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवँ शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1518

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

MENKA MAURYA

पिता/पति श्री

PANKAJ KUMAR

VILL- JEETPURA POST KHARK DIST BIJNOR

Mobile 8630001633

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 96 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5843 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 96 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1519

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MOHIT GARG**

**ANIL KUMAR AGARWAL**

**H N 7, KABIR GALI, MOHALLA MAHAJAN, CHANDAUSI,**

Mobile: 99000

सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 21, श्रेणी -  
न के सम्बन्ध में।

3DA202112102756 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक-  
आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI  
ल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

या निम्न प्रकार है:-

रु०- 1584000/-

रु०- 158400/-

रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक

रु०- 1188000/-

रु०- 162530/-

दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन  
न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।  
के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न  
चयन कर सकता है।

विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की  
माह की अवधि में जमा करनी होगी।

धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित  
प्रा गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा

होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम  
होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा

करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के  
धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने  
होगी। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित  
नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त



(P.T.O)

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना  
B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०-

18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में

इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 21 क्षेत्र

• भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्र

(क) अनुमानित मूल्य

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि

(ग) आवंटन धनराशि

(घ) अवशेष धनराशि

(ड) त्रैमासिक किश्त

• आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि

धनराशि निर्धारित समय तक जमा

• केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि

विकल्प से किसी एक विकल्प का

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा

तिथि से अधिकतम 02

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत ध

किश्त का निर्धारण वि

करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में दे

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का

तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि

सकती है।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा

साथ) देय होगा। समय से देय धन

वाली धनराशि में पहले समायोजित

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि

धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा

समझा जायेगा।

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1520

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MOHIT GUPTA**

**MAHESH CHANDRA GUPTA**

**RAM RICE MIL BILSAND POST BILSAND PILIBHIT**

Mobile 8899082448

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 115 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5128 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 115 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1521

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MOHIT KUMAR SAXENA**

**PRADEEP KUMAR SAXENA**

69/2 AGRASEN NAGAR, OPP-GREEN PARK COLONY, BISALPUR ROAD,

PILIBHIT BYPASS ROAD BAREILLY

Mobile 9808789656

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 135 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5021 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 135 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्गर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्गर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1522

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MOHIT MAHESHWARI**

**ANIL KUMAR**

**MOHIT PLYWOOD AND GLASS WORKS, SARSOTA ROAD, SAHASWAN**

Mobile 8273074657

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 18 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5165 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 18 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1523

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

MOHIT VERMA

BALRAM

15, AVADH VIHAR DELAPEER BAREILLY

Mobile 7060103444

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 79 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5707 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 79 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1524 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**MONIKA AGARWAL**  
**MUNISH AGARWAL**  
C-297/1, RAJENDRA NAGAR, BAREILLY  
Mobile 9897472738

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 113 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5295 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 113 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1525 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

MS GEETANJALI

GULFAN SINGH

3/12 DURGA NAGAR, NEAR MJP UNIVERSITY, BAREILLY, 243006

Mobile 8532013012

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 87, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- BDA202112145296 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 87 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

घ

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1526 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री  
MUINUL HASAN NIAZI  
SIRAJUL HASAN NIAZI  
G-54/5, DILSHAD COLONY DELHI  
Mobile 9312398909

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 108 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- BDA202112092564 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 108 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1527 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु० **MUKUL MATHUR**

पिता/पति श्री **S.K. MATHUR**

4231/OPPOSITE CHAUBEY BUILDING NRAR SATYODAYA SCHOOL SUBHASH

NAGAR BARILLY

Mobile 9568067678

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं0- 109, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5589 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 109 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

#### ● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1528 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

NALINI RAJPUT

SWARN MANI PRAJAPATI

241, PARAS SWEETS, HARTMANN COLLEGE ROAD, ASHRAF KHAN CHAWANI,

BAREILLY

Mobile 9458424266

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 4 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- BDA202112144937 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 4 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1529 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**NARENDRA PAL**

**CHAITANY DEV**

**MOH-PATEL NAGAR, THE BISALPUR DIST. PILIBHIT 262201**

Mobile 9627643167

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 69, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5732 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 69 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1530 / का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

NEERAJ KUMAR PATEL

पिता/पति श्री

LATE SHREE DHARAM VEER SINGH

H.NO 177 SHIV GARDEN COLONY NEAR WATER TANK POST ROHILKHAND

UNIVACITY BAREILLY

Mobile 9719327481

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 99 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5531 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 99 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1531

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**NEETU DEVI**

SARVODAYA MANI PRAJAPATI

241 ASHRAF KHAN CHAWANI HARTMAN COLLEGE ROAD

Mobile 8791728740

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 9 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144505** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **9** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- <b>1584000/-</b>
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- <b>158400/-</b>
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- <b>237600/-</b> दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- <b>1188000/-</b>
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- <b>162530/-</b>

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1532

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**NIRMALA DEVI**

**ARVIND KUMAR**

270 BHEEM NAGAR COLONY RAILWAY ROAD NO-1 BAREILLY

Mobile 9044997110

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 61, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5983 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 61 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1533

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

OM KAR

RAM BHAROSHEY LAL

H.NO LAKMI PURAM NEAR HANUMAN MANDIR GUPTA NURSARY BAREILLY

Mobile 8171956350

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 39 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5664 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 39 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1534

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**OM PRAKASH BHASKAR**

**ANGAN LAL**

**13 B BANKEY KHAN CHAVNI BAREILLY**

Mobile 8171956351

**विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 2 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5650 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 2 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

**• भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-**

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly

खाता संख्या :- 50100459622545

आईएफएस कोड :- HDFC0000304

सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly

खाता संख्या :- 33840100010472

आईएफएस कोड :- BARBOKHANCO

सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly

खाता संख्या :- 1870000100576997

आईएफएस कोड :- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1535

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PARAS MANI PRAJAPATI**

**BHAGWAN DAS PRAJAPATI**

241 ASHRAF KHAN CHAWANI K K PUBLIC SCHOOL BAREILLY

Mobile 8630081244

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 130 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144383** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **130** क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1536

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**POONAM SAGAR**

**SAURABH SAHAI**

129 WEST END COLONY, RAMPUR ROAD, BIDHOLIYA, BAREILLY

Mobile 9084413880

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 92 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5115 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 92 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटि पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।




(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1537

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PRABHAKAR MISHRA**

**SRI RAM SEWAK MISHRA**

H.NO. 176, GANESH NAGAR COLONY, TRANSFORMER WALI GALI, NEKPUR

BAREILLY

Mobile 9990276288

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 139 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5437 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 139 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1538

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PRADEEP KUMAR SINGH**

**INDRA DEO**

24-B, GALI NO.2, NEAR-BAJRANG DHABA, LAXMI NAGAR, BAREILLY

Mobile 9458866341

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 102 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5084 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 102 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly

खाता संख्या :- 50100459622545

आईएफएस कोड :- HDFC0000304

सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly

खाता संख्या :- 33840100010472

आईएफएस कोड :- BARBOKHANCO

सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly

खाता संख्या :- 1870000100576997

आईएफएस कोड :- PUNB0187000

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1539

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

PRAKHAR JOHRI

पिता/पति श्री

VIJAI KUMAR JOHRI

H-11060 16TH AVENUE GAUR CITY 2 GREATER NOIDA WEST GAUTAM BUDH

NAGAR

Mobile 8750250024

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 15, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- BDA202112133982 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 15 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1540

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PRAMOD KUMAR JAISWAL**

**CHUNNI LAL JAISWAL**

1/10 SADAR BAZAR NEAR CANTONMENT GENERAL HOSPITAL BAREILLY

Mobile 7253820256

विषय- **रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 84 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5315 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 84 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● **भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-**

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1541

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

PRATIMA JAISWAR

FULENDRA SINGH GANGWAR

NEAR- HEART MAN COLLEGE, 96 GREATER AKASH COLONY, BAREILLY

Mobile 7983168469

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 82 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5349 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 82 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्गर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्गर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1542

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

**PRAVESH KUMARI**

पिता/पति श्री

**BRAHMPAL SINGH**

SHYAMKUNJ COLONY, NEAR SHYAM SCHOOL, NAKATIYA, BAREILLY,

UTTAR PRADESH

Mobile 7895875300

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 126 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144957** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **126** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेंगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1543

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PREETI**

**GANGA PRAKASH**

VILL- JAI NAGAR MAJRA ALINAGAR, PO+TEHSIL-NAWABGANJ, BAREILLY

Mobile 8006080204

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 101 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5003 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 101 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1544

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

PRERNA BHASIN

VARUN KHANDELWAL

D-5/3A, FIRST FLOOR, RANA PRATAP BAGH, GT KARNAL ROAD, DELHI

Mobile 9718218878

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 19, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- BDA202112144490 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 19 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली किश्तों में जोड़ा जायेगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में संभोथाजत की जायेगा।

- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


9

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवँ फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवँ जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवँ शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1545

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PRERNA KAPOOR**  
**KARTIKEY KOHLI**  
194- GREEN PARK (MAIN) BAREILLY  
Mobile 9412353001

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 49, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5321 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 49 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

९

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1546

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

PRITI DEVI

पिता/पति श्री

BRIJESH YADAV

VILL-BOOJPUR MAN SIRASKHERA, MORADABAD

Mobile 7983250094

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 88 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5050 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 88 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

घ

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1547

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PRIYA MISHAR**

**PRASHANT SHARMA**

BEHIND SUGARCANE OFFICE PATEL NAGAR GALI NO.3 BUDAUN

Mobile 7669294571

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 63 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5609 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 63 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

4

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1548

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**PRIYABHASANI PATHAK**

**AMITABH BHANJ**

113-B VATIKA SUN CITY VISTAR NEAR AIR FORCE STATION BAREILLY

Mobile 9319908378

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 142 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5500 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 142 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1549

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

**PRIYANKA**

पिता/पति श्री

**SHASHANK MANI PRAJAPATI**

BAREILLY

241 ASHRAF KHAN CHAWANI, HARTMANN COLLEGE ROAD, IZZATNAGAR

Mobile 9259060606

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इन्क्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 106 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144751** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इन्क्लेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **106** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।




(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1550

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**RAGINI SAXENA**

**SUJEET SAXENA**

115-B MITHLAPURI COLONY DELAPEER BAREILLY

Mobile 8433478448

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 75 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112011060** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **75** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- <b>1584000/-</b>
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- <b>158400/-</b>
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- <b>237600/-</b> दिनांक <b>28-01-22</b> तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- <b>1188000/-</b>
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- <b>162530/-</b>

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष **75** प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष **75** प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम **02** माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष **75** प्रतिशत धनराशि **8** समान त्रैमासिक किश्तों में **8.2** प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में **2%** अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल **10.2%** ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि **90** दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1551

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**RAJEEV KUMAR GOUTAM**

**PREM PAL SINGH**

**GANGA NAGAR COLONY BUDAUN ROAD NEAR BAGGA COLONY BAREILLY**

Mobile 9675509228

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 38 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5779 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 38 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly

खाता संख्या :- 50100459622545

आईएफएस कोड :- HDFC0000304

सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-

बैंक का नाम व शाखा :- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly

खाता संख्या :- 33840100010472

आईएफएस कोड :- BARB0KHANCO

सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-

बैंक का नाम व शाखा :- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly

खाता संख्या :- 1870000100576997

आईएफएस कोड :- PUNB0187000

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1552

/ का0ब0वि0प्रा0/ सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

RAJIV KUMAR GUPTA

पिता/पति श्री

RAM AUTAR GUPTA

MADAUNA URF PATPARAGANJ POST KUNDARIAKL FAIJULLAPURULLAPUR

THE AONLA BAREILLY

Mobile 9761627149

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 11 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5669 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 11 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1553

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**RAM AUTAR**  
**MOHAR SINGH**  
**VILL-GARHIRA RANGEEN**  
Mobile 7380679994

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 25 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112102948** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **25** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

६

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1554 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

RAM AUTAR SINGH

पिता/पति श्री

DAYA RAM

28/1 P.W.D COLONY RAJENDRA NAGAR, BAREILLY

Mobile 9639836434

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 114 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5583 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 114 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1555

/ का0ब0वि0प्रा0/ सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

**RAVINDER KUMAR SINGH**

पिता/पति श्री

**DHYAN SINGH**

6A/180 AVAS VIKASH PHASE-2 BUDDHI VIHAR NEAR AKANSHA NURSING

HOME MORADABAD

Mobile 7080691012

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 93 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5364 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 93 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1556

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**RENU AGNIHOTRI**  
**PRASHANT SHUKLA**

143, 05 HOLI CHAURAH DAMODARPURAM, SUBHASH NAGAR, BAREILLY,

U.P.

Mobile 7983330492

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 60 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5399 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 60 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly

खाता संख्या :- 50100459622545

आईएफएस कोड :- BARB0330001

सेक्टर-02 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly

खाता संख्या :- 33840100010472

आईएफएस कोड :- BARB0KHXNCO

सेक्टर-03 साबरमती इन्क्लेव:- बैंक का नाम व शाखा :- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly

खाता संख्या :- 1870000100576997

आईएफएस कोड :- PUNB0187000

सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-

सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1557 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**ROHIT MAHESHWARI**

**ANIL KUMAR MAHESHWARI**

**MOHIT PLYWOOD AND GLASS WORKS, SARSOTA ROAD, SAHASWAN**

Mobile 9891899807

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 141 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5164 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 141 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटि पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1558

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

ROHIT SINGH

JAGDISH SINGH

707 APARTMENT MEGA DREAM HOMES KARAMCHARI NAGAR, BAREILLY

Mobile 9536310474

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 12, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5397 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 12 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1559

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**RUCHI BHARTI**

**RAJ KAMAL**

**DURGA NAGAR SINGH DA PCO WALI GALI NRAR TATA TOWER BAREILLY**

Mobile 8077749313

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 55, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5523 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 55 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1560

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

RUDRENDRA SRIVASTVA

पिता/पति श्री

VINAY PRAKASH SRIVASTVA

RUDRENDRA SRIVASTVA SENIOR PROSECUION OFFICER (SDO)

PROSECUION OFFICE SSD CAMPUS BAREILLY

Mobile 9454456235

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 125 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5832 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 125 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ड) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

9

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1561

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SACHIN AGARWAL

AJAI KUMAR AGARWAL

MOH- BAKHTABAR LAL BISALPUR, PILIBHIT

Mobile 9837841008

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 117 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5911 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 117 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

*ak*

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1562

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SACHIN MEHROTRA

MOOL CHANDRA MEHROTRA

SACHIN MEHROTRA S/O MOOL CHANDRA MEHROTRA, 28 DAU JI KA

MANDIR, SARAY PUKHTA, QILLA, BAREILLY

Mobile 8393882482

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं0- 122, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5758 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 122 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1563

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SANDHYA KUMARI**

**DEO NATH RAM**

**H.NO 05 NAND BHAWAN SBI OFFICERS COLONY BAREILLY**

**Mobile 9651083303**

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 23 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5972 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 23 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

६

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना 1/1956 के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1564

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SANGEETA VERMA

PRDEEP KUMAR VERMA

C-47 BANUVAL NAGAR 100 PHUTA ROAD SUDH DHARAM KATA NEAR

BAREILLY

Mobile 8532856724

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 121 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5152 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 121 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1565

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SANTOSH KUMAR SAXENA

RAKESH KUMAR SAXENA

125 LAXMIPURAM NEAR VEERSAWARKAR NAGAR DELEPER BYPASS

BAREILLY

Mobile 9358264331

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 8 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5647 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 8 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1566

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SAPNA GANGWAR

NAIPAL SINGH GANGWAR

GANDHI PURAM NEAR THE GURU SCHOOL MINI BY PASS IZZATNAGAR,

BAREILLY

Mobile 9457449634

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 46, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5925 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 46 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1567

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SARVODAYA MANI PRAJAPATI**

**BHAGWAN DAS PRAJAPATI**

241 ASHRAF KHAN CHAWANI HARTMAN COLLEGE ROAD

Mobile 8791695998

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 132 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144377** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इक्लेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **132** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-


- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1568

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SHALINI**  
**SAURABH KATIYAR**  
120 VEER SAVARKAR NAGAR BAREILLY  
Mobile 8077864100

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इक्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 66 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5872 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इक्लेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 66 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1569

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SHAMDA PATHAK

HEMANT MISHRA

MO.NO- 178/2, GALI NO-9, GOLDEN GREEN PARK BISALPUR ROAD BAREILLY

Mobile 8954663706

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 58 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5784 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 58 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉंछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1570

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SHANKER LAL

DHANIRM

VIL ALAKTHAN POST DAUTAKALAN PILIBHIT

Mobile 9412494620

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 103 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5754 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 103 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1571

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SHASHANK MANI PRAJAPATI**

**BHAGWAN DAS PRAJAPATI**

241, ASHRAF KHAN CHAWANI HARTMANN COLLEGE ROAD IZZAT NAGAR

BAREILLY

Mobile 9259060606

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 85, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144697** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **85** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- <b>1584000/-</b>
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- <b>158400/-</b>
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- <b>237600/-</b> दिनांक <b>28-01-22</b> तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- <b>1188000/-</b>
(ड) त्रैमासिक किश्त	रु०- <b>162530/-</b>

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1572

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SHEEBA MOIN**  
**AAMIL KHAN**  
**68 JAMA MASJID BAREILLY**  
Mobile 9897336256

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 20 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5290 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 20 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1573

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SHIKHA PAL**  
**PRAVEEN KUMAR PAL**  
**TARAWADEV NABIGANJ MAINPURI**  
Mobile 9650662730

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 34 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112133890** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **34** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1574

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

SHILPI SINGH

पिता/पति श्री

ASHWANI KUMAR SINGH

SHARDA VIDHYA MANDIR NEAR RAILWAY CROSSING PADHERA ROAD

FARIDPUR, BAREILLY

Mobile 8376882328

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 43, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5771 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 43 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1575

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SHIVAM SAXENA

DINESH BABOO

4 MAHARAJA AGARSEN COLONY, BISALPUR ROAD, BAREILLY

Mobile 7905843303

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 51 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5198 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 51 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1576

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SHIVAM SHARMA

ANAND SWAROOP SHARMA

VILL-PURANIYA POST-DANDIYA NANGLA, TEHSIL-BAHERI, BAREILLY

Mobile 8006017611

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 127 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5219 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 127 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1577

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SUBHASH CHANDRA**

**RAVIENDRA KUMAR**

238, KOHARAPEER, NEAR OM GAS AGENCY, BAREILLY

Mobile 9761656116

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 83 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5652 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 83 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0-	158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0-	237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0-	162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

९

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुसूचना ब्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1578

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SUBHASH CHANDRA**

**SHRI KRISHNA**

VILLAGE POST OFFICE SHIVGARH NEAR POWER HOUSE RAIBAREILLY

Mobile 8755920640

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 133 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5318 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 133 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1579

/ का0ब0वि0प्रा0/ सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SUHAIL WAHEED**

WAHEEDUL HASN ANSARI

H-706, GANGA APARTMENT, GOMTI NAGAR EXTENSION, LUCKNOW

Mobile 9453437139

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 74 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5996 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 74 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

 (P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1580

/ का0ब0वि0प्रा0/ सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SUMAN SINGH

ASHWANI KUMAR SINGH

SHARDA VIDHYA MANDIR NEAR RAILWAY CROSSING PADHERA ROAD

FARIDPUR, BAREILLY

Mobile 8853433432

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 124 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5716 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 124 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1581

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

SUMIT YADAV

NETRAPAL SINGH YADAV

VILL. LADPUR MUDIYA POST. SUNHA DISTT, BAREILLY

Mobile 7983250094

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 131 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5614 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 131 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1582

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**SWARN MANI PRAJAPATI**

**BHAGWAN DAS PRAJAPATI**

241, PARAS SWEETS HARTMANN COLLEGE ROAD, ASHRAF KHAN CHAVANI

Mobile 9458424266

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 86 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144842** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **86** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1583

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

SWATANTRA TANDON

पिता/पति श्री

PRADEEP TANDON

3/19, KAWAJA KUTUB EAST BEHARIPUR, BAREILLY

Mobile 9758676520

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 138 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5024 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 138 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रु०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1584

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**TEJ PAL**

**CHATUR BEHARI**

**GALI NO.18 GAYATRI NAGAR NAINITAL ROAD IZZATNAGAR BAREILLY**

Mobile 9412272322

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 80 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112144429** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **80** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1585

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**TEJENDRA KUMAR**

**VISHMBHAR DAYAL**

**VILL- KASER PANAUTA, POST- KUMARGAON, BUDAUN**

Mobile 8859326007

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 98 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5703 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 98 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ड) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।




(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
 वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
 बरेली विकास प्राधिकरण  
 बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1586

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

VAIBHAV

ASHOK KUMAR

H.NO. 23, AASTHA SUNCITY VISTAR, BAREILLY

Mobile 9927845629

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 134 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5558 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 134 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1587 / का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**VIKAS AGARWAL**  
**KAILASH CHANDRA AGARWAL**  
05, BINDU JI KI BAGIYA KELA BAGH, BAREILY  
Mobile 9319121290

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 77 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5367 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 77 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- अवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1588

/ का0ब0वि0प्रा0/ सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

VIKAS KUMAR

CHHOTY SINGH

59/1 A UDIT MAHANAGAR PART I BAREILLY

Mobile 8268874288

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं0- 28 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं0- 5677 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं0- 28 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु0- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु0- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु0- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु0- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु0- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1589

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

VIKRAM RASTOGI

पिता/पति श्री

HARI OM RASTOGI

22 RAJENDRA NAGAR MARKET BAREILLY

Mobile 8218202234

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 72 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- BDA202112144528 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 72 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉंछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं0-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किशतों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किशतें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं0-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू0-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किशतें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1590

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**VIMAL ARORA**

**SATISH KUMAR ARORA**

A-285/1, RAJENDRA NAGAR, BAREILLY

Mobile 8077476453

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 140 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5037 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 140 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1591 /का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**VIMAL KUMAR**  
**SHRI SUBHASH CHANDRA**  
ROOM NO C-1 PS CIVIL LINE RAMPUR  
Mobile 8445212201

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 119 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112133977** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इंकलेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **119** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



**कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।**

पत्रांक :- 1592

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

**आवंटन पत्र**

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**VINAY KUMAR SINGH**  
**MANGLESHWAR SINGH**  
**GALI NO 11 BADAUN ROAD BAREILLY**  
Mobile 9719691717

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 16 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5704 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 16 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ड) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1593

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

VINDU BALA AWASTHI

SHANTI SWAROOP TIWARI

SHIV GARDEN COLONY DOHRA ROAD OPPOSITE LAVNYA RESORT

BAREILLY

Mobile 9458212007

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 56 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5100 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 56 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ड) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARB0KHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1594

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

VINEET ANAND

NARESH KUMAR ANAND

73-A MAL GODAM ROAD, CIVIL LINES BAREILLY

Mobile 9412292663

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 144 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5015 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 144 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1595

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

VINOD KUMAR

पिता/पति श्री

SHRI BABU RAM

S/O SHRI BABU RAM, 370 DHA, INFRONT OF TRIMURTI PALACE, ANUPAM

NAGAR BUDAUN ROAD BAREILLY, POST- KARELI, UTTAR PRADESH -243001

Mobile 8392914792

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इन्क्लेव में स्थित भूखण्ड सं०- 104, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- **BDA202112133815** में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- **18.12.2021** को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर **1 SABARMATI** इन्क्लेव में श्रेणी- **B** भूखण्ड सं०- **104** क्षेत्रफल **72** वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०-	1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०-	79200/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०-	316800/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०-	1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०-	162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक **28-01-2022** तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।


- 1- प्रथम किश्त माह- **मार्च 2022** में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटितों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवँ फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवँ जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवँ शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000

  
वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1596

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०

VINOD KUMAR GUPTA

पिता/पति श्री

SATISH CHANDRA GUPTA

VAISHNO DHAM COLONY B.D.A COLONY NEAR FIBER FACTORY SUBHAS

NAGAR BAREILLY

Mobile 9760945533

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 59 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5616 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 59 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1597 / का0ब0वि0प्रा0 / सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

VISHAL AGARWAL

RAMESH CHANDRA AGARWAL

H-21 SHASHTRI NAGAR NEAR KHAN MATKET BAREILLY

Mobile 9927272739

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 76 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5726 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 76 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

४

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1598

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**VIVEK SAHNI**

**SHREE RAM SAHNI**

978, MALOOKPUR, KUNWARPUR, DR. LAXMI NARAIN MARG, BAREILLY

Mobile 9897894522

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 123 ,श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5156 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 123 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

● आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

● केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

विकल्प -1 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

विकल्प -2 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।

3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुरक्षण व्यय ₹०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।



## कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक :- 1599

/का0ब0वि0प्रा0/सं0 अनु0-2021-22

दिनांक - 29/12/2021

### आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०  
पिता/पति श्री

**YOGESH KUMAR**

**TULARAM**

MOH-PURAINA TOWN-JAHANABAD DIST-PILIBHIT 262001

Mobile 7408666343

विषय- रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर- 1 SABARMATI इंकलेव में स्थित भूखण्ड सं०- 67, श्रेणी - B क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण सं०- 5380 में सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक- 18.12.2021 को आयोजित लाटरी ड्रा में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 1 SABARMATI इंकलेव में श्रेणी- B भूखण्ड सं०- 67 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर आवंटित किया गया है।

● भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(क) अनुमानित मूल्य	रु०- 1584000/-
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०- 158400/-
(ग) आवंटन धनराशि	रु०- 237600/- दिनांक 28-01-22 तक
(घ) अवशेष धनराशि	रु०- 1188000/-
(ङ) त्रैमासिक किश्त	रु०- 162530/-

- आवंटन धनराशि निर्धारित तिथि दिनांक 28-01-2022 तक प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- केवल अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु आवंटनी पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार निम्न विकल्प से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है।

कृपया निम्न विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन कर भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा।

**विकल्प -1** आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी।

**विकल्प -2** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 8 समान त्रैमासिक किश्तों में 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किश्त का निर्धारण किया गया। किश्त की निर्धारित देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा करनी होगी।

- 1- प्रथम किश्त माह- मार्च 2022 में देय होगी। धनराशि प्राधिकरण के निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।
- 2- किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी। किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं।
- 3- किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 10.2% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- 4- विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(P.T.O)

- 5- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- 6- भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- 7- आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्डों के मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 8- पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-7.14 के अन्तर्गत विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी।
- 9- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
- 10- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु सं०-14.2 के अनुसार धनराशि वापस की जायेगी।
- 11- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 12- आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वयं आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 13- रजिस्ट्री उपरान्त कब्जा लेने के पश्चात अनुक्षण व्यय रू०-1/- प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14- यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 15- आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 16- अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :- किश्तें निम्नानुसार बैंक खातों में जमा की जायेंगी जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।

सेक्टर-01 साबरमती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- HDFC Bank, Civil Lines, Bareilly
	खाता संख्या	:- 50100459622545
	आईएफएस कोड	:- HDFC0000304
सेक्टर-04 सरस्वती इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Bank Of Baroda, Old City, Bareilly
	खाता संख्या	:- 33840100010472
	आईएफएस कोड	:- BARBOKHANCO
सेक्टर-09 शिवम् इन्क्लेव:-	बैंक का नाम व शाखा	:- Punjab National Bank, Rajendra Nagar Bareilly
	खाता संख्या	:- 1870000100576997
	आईएफएस कोड	:- PUNB0187000



वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।